समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
-: जिला संयुक्त आदेश :-

01 अप्रैल, 2016 से लागू मद्य निषेध के निमित्त जिला मुख्यालय स्तर पर /अनुमंडल स्तर पर /प्रखंड स्तर पर शराब विरोधी मार्च का आयोजन जागरूकता जगाने हेतु किया जाना है। उक्त आयोजन जिला मुख्यालय स्तर पर प्रातः 08:00 बजे बी0एन0मंडल स्टेडियम से मार्च का प्रस्थान होगा और भूपेन्द्र चौक-कर्पूरी चौक-जयपालपट्‌टी चौक होते हुए रास बिहारी विद्यालय, मधेपुरा के प्रांगण में संकल्प हेतु एकत्रित होगा। इस मार्च में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी /सभी कर्मचारी /सभी विद्यालय के शिक्षक /शिक्षिका /जीविका की दीदी एवं सभी गणमान्य लोग भाग लेंगे। उक्त आशय की सूचना जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा माईकिंग के माध्यम से आमलोगों के मार्च में भाग लेने हेतु दिनांक 31-03-2016 को व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा मार्च हेतु आवश्यक बैनर पोस्टर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मार्च हेतु आवश्यक माईकिंग एवं रास बिहारी विद्यालय में एक अस्थायी मंच की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उक्त प्रकार के ही मार्चो का कार्यक्रम सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष अपने-अपने प्रखंडों में करेंगे। इस संबंध में विस्तृत आदेश अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज निर्गत करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे ताकि अधिक-से-अधिक लोग मार्च में भाग ले सकें। उक्त मार्च में संलग्न संकल्प लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

30.3.16
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

30/3/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 797/गो0 मधेपुरा दिनांक 30.03.2016

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा / उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

संकल्प पत्र

मैं निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ कि अभी से आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है एवं यह परिवार को बर्बाद करता है। साथ ही दूसरे लोगों को नी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा/करूँगी।

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

नाम –

पिता/पति का नाम –

ग्राम/मुहल्ला–

पुत्र/पुत्री का नाम

वर्ग –

विद्यालय का नाम –

पंचायत –

प्रखण्ड –

जिला–